

2.45

परियोजना विवरण :-

1.क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत नरसिंह डोंडा भगीना भण्डारी मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 7.000 कि0मी0
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	1:50000 का मानचित्र, डिजिटल व गूगल मैप संलग्न है।
ग) परियोजना की लागत।	रु0 407.27 लाख
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	अन्य समरेखन से मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।
ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	संलग्न है।
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	क्षेत्र में अस्थायी रूप से क्षेत्रवासियों को रोजगार मिलेगा एवं क्षेत्र में उपज का मूल्य बाजार दर पर मिलेगा, तथा क्षेत्र में यातायात का लाभ मिलेगा।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	1. वनपंचायत भूमि 1.620 हे0 2. सिविल/राज्य वनभूमि 1.800 हे0 कुल वन भूमि 3.420 हे0
3.परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	
क) परिवारों की संख्या	कोई नहीं (शून्य)
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	कोई नहीं (शून्य)
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	कोई नहीं (शून्य)
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)	नहीं
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम संलग्न है। एवं पुनः वनीकरण की वचनवद्धता संलग्न है।
6.निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।	निर्देशानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।

दिनांक.....

स्थान लोहाघाट।

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर



नाम

मोहर

सहायक अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट  
चम्पावत।

अधिसासी अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड लोहाघाट  
चम्पावत


16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति	जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत नरसिंह डोंडा भगीना भण्डारी मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 7.000 कि0मी0
(प) राज्य/संघराज्यक्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(पप) जिला	चम्पावत।
(पपप) जिला वन प्रभाग	चम्पावत वनप्रभाग चम्पावत
(पअ) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	1. वनपंचायत भूमि 1.620 हे0 2. सिविल/राज्य वनभूमि 1.800 हे0 <b>कुल वन भूमि 3.420 हे0</b>
17. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति:	वनपंचायत, सिविल/राज्य भूमि
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:	चीड, बॉज, खरसौ इत्यादि प्रजाति
(प) वन का प्रकार	1. वनपंचायत भूमि 1.620 हे0 2. सिविल/राज्य वनभूमि 1.800 हे0 <b>कुल वन भूमि 3.420 हे0</b>
(पप) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व	0.20
(पपप) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	मोटर मार्ग के निर्माण में चीड- Pinusroxburghii, आदि उक्तानुसार
(पअ) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	मोटर मार्ग का समरेखन जहाँ नाप भूमि से असंभव हो, वहीं वनभूमि में किया गया है।
19. भूकरण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू-वैज्ञानिक के अनुसार भू गर्भीय स्थिति रामगढ समूह की देवगुरु पोरफिराइट फरमेसन (गोरखनाथ फारमेशन) की पोरफिराइट की चट्टानें हैं। भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न है।
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :	अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण आरक्षित वनभूमि एवं वनपंचायत/राज्य भूमि में ही मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिससे यह वनभूमि के अन्तर्गत ही है।
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता	
(i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :	प्रस्तावित स्थल पर विशेष वन्य जीव प्रजाति नहीं पाई जाती है।
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)


निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	
(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)
(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि. मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)
22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)
23. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :	
(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अन्य वैकल्पिक भूमि न होने के कारण प्रस्तावक विभाग द्वारा दर्शित भूमि न्यूनतम व अपरिहार्य है।
(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	जहाँ संभव है, वहाँ निजी भूमि का चयन कर उपयोग किया जा रहा है।
24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :	
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)	नहीं
(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही	नहीं
(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)	नहीं


25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :	2-46
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।	सिविल भूमि सुल्ला
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।	सिविल अवनत वन खसरा संलग्न है।
(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।	1:50000 का मानचित्र एवं डिजिटल मैप संलग्न है।
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।	हाँ संलग्न है।
(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :	रु0 1073880.00
(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)	प्रमाण पत्र संलग्न है।
26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाष में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।	संलग्न है।
27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों	प्रस्ताव स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित अग्रसारित

स्थान:  
तारीख:

हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा



  
सहायक अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०  
चम्पावत

  
अधिसासी अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०  
चम्पावत

## प्रारूप-4

परियोजना का नाम:- जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत नरसिंह  
डॉडा भगीना भण्डारी मोटर मार्ग का निर्माण  
भाग-3

28. क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाय।	
29. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं।	
30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों	

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा

*Vu*  
सहायक अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०  
चम्पावत।

*Raj*

*Raj*  
अधिसासी अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०  
चम्पावत